पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Email Id-academicprsu3@gmail.com Phone No. 0771-2262540

क्रमांक / 1339 / अका. / सम्बद्धता / 2025 रायपुर, दिनांक 20 / 06 07 / 2025

/ / आदेश / /

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2025 के अनुमोदनानुसार, **परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, कलेक्टर रोड, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा / संकाय / विषय के लिये सत्र 2025–26 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा / संकाय / विषय	सीट संख्या	सत्र
1.	बी.ए. (आ.पा., समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य) द्वितीय वर्ष	60	2025-26
2.	बी.कॉम. द्वितीय वर्ष	60	2025-26
3.	बी.एस–सी. बायो (वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र) द्वितीय वर्ष	60	2025-26

शर्तें :–

1. महाविद्यालय को आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 389 / 42 / आउशि / अ.शै.प्र. / 2024–25 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 / 03 / 2025 के द्वारा पाठ्यक्रम की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
4. शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
5. इण्डोमेंट फण्ड की शेष राशि का भुगतान सत्रांत तक कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा करेंगे। यदि पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है तो एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
6. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
8. परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम / आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से 03 माह के भीतर नियुक्त / पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
9. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में उच्च स्तरीय पुस्तकों को क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. तीनों विषयों के लिए अलग–अलग प्रयोगशाला की व्यवस्था करेंगे।
11. स्वयं के भवन की व्यवस्था करेंगे।
12. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
13. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

क्रमशः –2–

पृ.क्र. 1340/अका./सम्बद्धता/2025 रायपुर, दिनांक 20/07/2025

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. संचालक/प्राचार्य, परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, कलेक्टर रोड, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
4. उप–कुलसचिव परीक्षा/विकास/स.कु.स. नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश कमांक : 894/अका./सम्बद्धता/2025 दिनांक 07.05.2025

निरीक्षण की तिथी : 21.05.2025

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
(1) बी.ए.	(अ.पा., समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी साहित्य)	60	2025-26	-
(2) बी.काम		60	2025-26	-
(3) बीएस.सी. (बायो)	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र	60	2025-26	-

क.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु कमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	पंजीयन तिथी: 26.02.2008
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	नहीं है।
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	₹ 05 लाख
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	वर्ष 2027 तक
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	किराये के भवन में स्थापित। किरायानामा है।
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता	3(xiv)	उपलब्ध है।
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता	3(xvi)	वर्तमान में एक हाल में व्यवस्था है। पाठ्यक्रम के अनुसार रसायन, वनस्पति, तथा जूलॉजी के लिए प्रयोगशाला का निर्माण आवश्यक है।
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है। कुछ उपकरण उपलब्ध है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	बी.ए. - 04 संविदा शिक्षक बी.काम - 02 संविदा शिक्षक बी.एससी - 03 संविदा शिक्षक धारा - 28 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करना है।

9

S.S.U. ACADEMIC DEPARTMENT Date 6.9.2

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	द्वितीय वर्ष के लिए पुस्तकों क्रय करना है। पुस्तक क्रय की प्रक्रिया चल रही है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	कम्प्यूटर लैब, गर्ल्स कॉमन रूम, पेयजल व्यवस्था,
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?		03 अध्ययन कक्ष बनाये गये प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है। मूलभूत संरचना की विकास आवश्यक है।
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		स्वयं का भवन नहीं है।
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		1) धारा-28 के अनुसार सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना है। 2) पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों (II nd year) पुस्तक क्रय करना है 3) तीनों विषयों के लिए अलग अलग प्रयोगशाला का व्यवस्था करें। 4) स्वयं का भवन नहीं है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर डॉ. कल्लोल घोष 21.5.25

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. डॉ. रविन्द्र के. ब्रह्मे
2. डॉ. [illegible] राजपाल
3. डॉ. कमलेश शुक्ला
4. डॉ. राजेश कुमार दुबे
... डॉ. सुभाष चन्द्राकर
... डॉ. देवेन्द्र [illegible]
...

21.5.25

दिनांक 21.05.2025

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)